न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0 03, गोण्डा।

जमानत प्रार्थना पत्र सं0 1096/2026

CNR No. UPGD01003259-2026

1— कन्हैया लाल उम्र करीब 36 वर्ष पुत्र नीबर उर्फ बड़े नीबर,

2— रामगोपाल उर्फ गोपाल यादव उम्र 34 वर्ष पुत्र बड़े नीबर,

3— शान्ती देवी उम्र करीब 32 वर्ष पत्नी रामगोपाल,

निवासीगण—ग्राम हरिहरपुर, थाना—नवाबगंज, जिला गोण्डा।

————————————————प्रार्थीगण/अभियुक्तगण।

प्रति

सरकार उ0प्र0 **————————————————————————————अभियोगी।**

मु0अ0सं0 124/2025,
धारा 115(2), 110, 352, 351(3) बी0एन0एस0
थाना नवाबगंज, जिला गोण्डा।

दिनांक — 08.06.2026

1— प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **कन्हैया लाल, रामगोपाल उर्फ गोपाल यादव व शान्ती देवी** की ओर से जरिये अधिवक्ता मुकदमा अपराध संख्या—124/2026, धारा—115(2), 110, 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता, थाना—नवाबगंज, जिला गोण्डा के प्रकरण में जमानत हेतु जमानत प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया है। जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवेदकगण/अभियुक्तगण के पैरोकार रामकरन द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2— अभियुक्तगण उपरोक्त आज तक अन्तरिम जमानत पर हैं, उनके द्वारा मजिस्ट्रेट न्यायालय में आत्मसमर्पण कर प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3— संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा छोठे नीबर यादव द्वारा थाना नवाबगंज, गोण्डा में इस आशय की तहरीर दी गयी कि दिनांक 14.11.2024 समय करीब सुबह 06:00 बजे रास्ते का विवाद को लेकर वादी अपने घर के पीछे अपनी जमीन की साफ सफाई कर रहा था। विपक्षी आये मारने लगे। विपक्षीगण राम किशुन यादव, कन्धई लाल, राम गोपाल यादव व गोपाल की औरत शान्ती देवी ने गाली—गलौज किया, फिर लाठी—डण्डा से मारे—पीटे, जिससे वादी के पूरे शरीर में चोटें आयी है। वादी ने जब हल्ला गोहार मचाया, तब किसी तरह जान बची, विपक्षी जाते—जाते जान से मारने की धमकी दिये है। सूचना को आया हूँ। अतः उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

4— वादी मुकदमा द्वारा दी गयी उक्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना—नवाबगंज, गोण्डा में दिनांक 27.04.2025 को उपरोक्त अपराध संख्या पर धारा—115(2), 110, 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता की प्रथम सूचना रिपोर्ट नामित अभियुक्तगण राम किशुन यादव, कन्धई लाल उर्फ कन्हैय्यालाल, राम गोपाल यादव व शान्ती देवी के विरूद्ध पंजीकृत हुई।

दिनांक : 08.06.2026 **अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0—3, गोण्डा।**

Digitally signed by DANISH HASNAIN
Date: 2026.06.12 22:47:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

5— आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा अपनी जमानत हेतु मुख्य आधार यह लिया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण बिल्कुल ही निर्दोष व बेगुनाह है, उनको मुकदमा उपरोक्त में फर्जी तरीके से फंसाया गया है। कथित घटना में उनका कुछ लेना देना नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की वादी मुकदमा से पुरानी रंजिश चली आ रही थी तथा उसी चुनावी रंजिश के कारण फर्जी फंसाया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अन्य कथनों के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

6— अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अपराध की गम्भीरता के आधार पर जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

7— मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना तथा प्रपत्रों का सम्यक् अवलोकन किया।

8— अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर वादी मुकदमा व रास्ते के विवाद को लेकर लाठी—डण्डा से मारा—पीटा, जिससे उसके सिर व पूरे शरीर में चोटें आयी तथा गाली—गुप्ता देते हुए जाने से मारने की धमकी दिये जाने का आरोप लगाया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने कथित घटना से इंकार करते हुए अपने जमानत प्रार्थना पत्र में यह कथन किया है कि चुनावी रंजिश के कारण आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध फर्जी मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि मामला क्रॉस केस से सम्बन्धित है तथा दोनों पक्षों के मध्य रास्ते के विवाद होने के कारण मारपीट होना परिलक्षित होता है। पत्रावली में संलग्न क्षेत्राधिकारी तरबगंज, गोण्डा की आख्यानुसार मुकदमा उपरोक्त में मजरूब छोटे नीबर यादव की डाक्टरी सी0एस0सी0 नवाबगंज में किया गया तथा उसके एन0सी0सी0टी0 हेड एण्ड एक्सपर्ट ओपिनियन हेतु जिला अस्पताल, गोण्डा रिफर किया गया था, जहां डाक्टर द्वारा उसको के0जी0एम0यू0/राम मनोहर लोहिया बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में एन0सी0सी0टी0 हेड हेतु रिफर किया, परन्तु मजरूब द्वारा अपनी इच्छानुसार अपने नजदीकी अस्पताल राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या में सेल्फ सी0टी0 स्कैन व एक्स—रे कराया गया तथा बाद इलाज डाक्टरी रिपोर्ट स्वयं लाकर थाने पर दिया गया, जो धारा—110 बी0एन0एस0एस0 जैसे गम्भीर अपराध में कदापि उचित एवं विधि सम्मन नहीं है एवं आपत्तिजनक है। प्रस्तुत प्रकरण में आरोप—पत्र प्रेषित किया गया है, जिस पर न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा दिनांक 13.01.2026 को प्रसंज्ञान लिया जा चुका है। मामला अधिकतम 07 वर्ष तक की सजा से दण्डनीय है। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना अभियुक्त के पूछतांछ हेतु उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। अभियुक्तगण उपरोक्त अन्तरिम जमानत पर है, उनके द्वारा मजिस्ट्रेट न्यायालय में आत्मसमर्पण कर प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया गया है। अन्तरिम जमानत पर रहने के दौरान

अभियुक्त द्वारा जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है। सहअभियुक्त रामकिशुन यादव की जमानत इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 06.05.2026 को स्वीकार की जा चुकी है।

9— ऐसे में मामले के तथ्यो एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण दोष पर बिना विचार किये हुए आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **कन्हैया लाल, रामगोपाल उर्फ गोपाल यादव व शान्ती देवी** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या—124/2026, धारा—115(2), 110, 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता, थाना—नवाबगंज, जिला गोण्डा के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सं0—**1096/2026 स्वीकार** किया जाता है। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा मु0—50,000/— 50,000/— (पचास—पचास हजार) रूपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं इसी धनराशि की **एक—एक** प्रतिभू दाखिल करने पर उसे सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जावे।

(दानिश हसनैन)
J.O.Code UP 2727
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0—3/
गोण्डा।

दिनांक 08.06.2026